DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2023 ATED----------

डीडीए के 36 किमी लंबे साइकिल वाक ट्रैक को आरएमबी की मंजूरी

संजीव गुप्ता ● नई दिल्ली

- डीडीए की योजना दिल्ली में 201 किमी लंबा साइकिल वाक ट्रैक बनाने की
- पहले चरण को आरएमबी ने सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी को भेजा

दो साल से फाइलों में अटके दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के महत्वाकांक्षी साइकिल वाक ट्रैक के धरातल पर उतरने की संभावना प्रबल हो गई है। रिज मैनेजमेंट बोर्ड (आरएमबी) ने पहले चरण में 36 किमी के साइकिल ट्रैक को अपनी हरी झंडी दे दी है और परियोजना की फाइल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित सेंट्रल इम्पावर्ड कमेटी (सीईसी) को भेज दी है।

गौरतलब है कि प्रदूषण .मुक्त आवागमन के लिए डीडीए ने दिल्ली में 201 किमी लंबा समर्पित साइकिल वाक ट्रैक तैयार करने की योजना बनाई थी। इसे पांच चरणों में बांटा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छह जनवरी 2021 को इसकी आधारशिला रखी थी। इसी परियोजना के पहले चरण को आरएमबी और वन विभाग की ओर से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिल गया है। सीईसी की भी मंजूरी मिलते ही साइकिल वाक ट्रैक का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

साइकिल वाक ट्रैक● जागरण आर्काइव

आरएमबी ने छह स्ट्रेच का कम्प्रेहेंसिव प्लान बनाने के लिए कहा था : आरएमबी ने डीडीए से छह स्ट्रेच- संगम विहार, आर्कियोलाजिकल पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क, जहांपनाह सिटी फारेस्ट, मंकी पार्क एवं एमबी रोड का कम्प्रेहेंसिव प्लान बनाने को कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि इन स्ट्रेच में वन क्षेत्र या रिज क्षेत्र की जमीन भी बीच में आ रही थी। जून 2022 में डीडीए ने यह प्लान आरएमबी को भेज दिया था। इसी प्लान के आधार पर पिछले दिनों हुई बैठक में आरएमबी ने इस प्लान को अपनी स्वीकृति दे दी।

परियोजना की विशेषताएं : साइकिल ट्रैक, पैदल यात्री ट्रैक, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी ट्रैक के साथ-साथ ओरिजिन डेस्टिनेशन प्लाजा, इंटरमीडिएट स्टेशन, लैंड ब्रिज और अन्य सहायक विकास कार्य।

29 किमी जमीन पर, सात किमी उपरगामी ट्रैक

लेन ए
20.5 किमी संगम विहार से मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन तक

लेन बी
8.5 किमी मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से वसंत कुंज तक

लेन बी
7 किमी चिराग दिल्ली से संत नगर व चिराग दिल्ली से एशियाड विलेज परिसर तक

परियोजना के चरण व लंबाई

साइकिल वाक ट्रैक के पहले चरण को कुछ शर्तों के साथ सीईसी की मंजूरी के लिए भेजा गया है। पहली शर्त वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत डीडीए को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। दूसरी शर्त कुल लागत का पांच प्रतिशत हिस्सा आरएमबी फंड में देना होगा। तीसरी शर्त के तहत जरूरत के मुताबिक असोला भाटी के ईको सेंसेटिव जोन को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त करनी होगी। अब सीईसी अपनी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी फिर कोर्ट अपना अंतिम निर्णय देगी।

–सीडी सिंह, सदस्य सचिव, आरएमबी और प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दिल्ली सरकार

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME पंजाब केसरी DELHI ▸ 24 जनवरी, 2023 ▸ मंगलवार DATED

वसंत विहार पेड़ों की अवैध कटाई-छंटाई मामला, निजी संस्था होने के नाते नहीं अधिकार

वीवीडब्ल्यूए को एनजीटी ने लगाई कड़ी फटकार

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने वसंत विहार में अवैध तरीके से हरे पेड़ों को काटने और हरियाली को छांटने के मामले में सख्ती दिखाते हुए आरोपी संस्था वसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन (वीवीडब्ल्यूए) को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही आगे पेड़ों की कटाई-छंटाई करने पर भी रोक लगा दी है। एनजीटी ने अपने आदेश में साफ किया है कि पेड़ों की कटाई-छंटाई पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सिर्फ अधिकृत सरकारी विभाग या भू-स्वामित्व रखने वाली संस्थाएं ही अनापत्ति के साथ कर सकती हैं। इनमें एमसीडी या जमीनी अधिकार रखने वाली एजेंसियां जैसे डीडीए आदि शामिल हैं। जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की एनजीटी बेंच ने कहा कि वीवीडब्ल्यूए को एक निजी संस्था होने के नाते उक्त अधिकार नहीं है। मामले के मुख्य याचिकाकर्ता वसंत विहार निवासी पद्मश्री और डॉ. बीसी रॉय राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रो. डॉ. संजीव बगाई हैं। उन्होंने एनजीटी के समक्ष वीवीडब्लूए के अवैध कारनामों के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि पेड़ों की छंटाई के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे लागू कानूनों के अनुपालन में और वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। डॉ. बगाई और अन्य ने एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 14 और 15 के तहत याचिका दायर कर कॉलोनी के हरे पेड़ों की अवैध कटाई-छंटाई करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने और दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अत्यधिक, अवैज्ञानिक छंटाई से कॉलोनी का हरित क्षेत्र नष्ट न हो। इसके लिए हमें आप (एनजीटी) के समर्थन की जरूरत है। क्योंकि इससे पर्यावरण को नुकसान होने के साथ ही साथ स्वास्थ्य के भी खतरे की आशंका है।

▸▸ वसंत विहार कॉलोनी पेड़ों की कटाई-छंटाई के बाद पड़ी टहनियां।

एमसीडी या जमीनी अधिकार रखने वाली एजेंसियां जैसे डीडीए आदि शामिल हैं...

2000 से ज्यादा पेड़ चढ़े बलि... पर्यावरण पर काफी काम कर चुके डॉ. बगाई ने बेंच को बताया कि एनवायरमेंट में मौजूद हरित क्षेत्र (हरियाली) कार्बन डाई आक्साइड, कार्बन मोनो आक्साइड और नाइट्रोजन को नियंत्रित करता है। इसके नहीं होने से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, अस्थमा हो सकता है। इससे मौतें बढ़ सकती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि एक अंतरराष्ट्रीय स्टडी में कहा गया है कि पर्यावरण और हरियाली का ध्यान नहीं रखने से चार गुना ज्यादा मौतें होती हैं। उन्होंने बताया कि वीवीडब्ल्यूए ने वसंत विहार में 2000 से भी ज्यादा हरे पेड़ों की अवैध कटाई-छंटाई की है। इसके लिए लगभग सभी घरों से 2-2 हजार रुपए की वसूली भी की गई है। यहां 7 हजार से अधिक पेड़ हैं। आपत्ति करने पर वीवीडब्ल्यूए ने पहले संबंधित संस्थाओं से अनुमति लेने की बात कही थी, लेकिन वह अनुमति की कॉपी नहीं दिखा पाए। इसलिए ही उन्हें एनजीटी का रूख करना पड़ा।